FORM No. III

APP-A
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2021/99

अज़ अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बून्दी

रामलाल बनाम केवरलाल

किस्म मुकदमा 01/प्रा० पत्र/2021 नं. सन्.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.1.21	वकील प्रार्थी उप० । वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी द्वारा यह कार्यवाही स्वयं की खातेदारी की आराजी ख० सं० 5 रकबा 2.1763 हे० वाके ग्राम पापरड़ा के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के दक्षिणी ओर नहर के किनारे अप्रार्थी केवर लाल की भी कृषि भूमियाँ ख० सं० 11, ख० सं० 12 व ख० सं० 7 वाके ग्राम पापरड़ा में स्थित है अप्रार्थी व अन्य काश्तकार नहर के किनारे बने रास्तों पर से ही अपने खेतों पर आते जाते रहे है और वर्तमान में भी उक्त नहर के ऊपर होकर ही सभी काश्तकार अपने अपने खेतों पर आ जा रहे है अप्रार्थी केवर लाल के मन में बदनियती आ गई और एन केन प्रकार से प्रार्थी के खाते में होकर नया रास्ता बनाने का प्रयास किया इस हेतु अप्रार्थी सं० 01 ने एक वाद पत्र केवरलाल बनाम रामलाल वाद सं० 3/2020 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 5.3.20 को खारिज करवा लिया । उक्त वाद में केवर लाल द्वारा नया वाद पेश करने की इजाजत चाही थी, लेकिन पेश नहीं किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय बून्दी के कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की थी जिस पर अप्रार्थी सं० 2 के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को नहीं देखकर आरल सेवा केन्द्र की दीवार को तोड़कर रास्ता देने का आदेश दिनांक 7.11.20 को दे दिया है जो प्रार्थी के अधिकारों के विरुद्ध प्रभाव शून्य है	

क्रमांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से थूमड़ो का रास्ता निर्मित करवाया गया था जिस पर पूर्व में भी किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया था। चूंकि रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु बनाया गया था इसलिए इस रास्ते को अवरूद्ध करना अवैधानिक है। अतः रास्ते में पक्की दीवार निर्मित कर रास्ते को अवरूद्ध किया गया जिसे तत्काल प्रभाव से हटाकर रास्ते को बहाल करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 444 दिनांक 07.11.2020 द्वारा सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रामगंज को अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रार्थी के कथन अनुसार मान भी लिया जाता है कि विवादित रास्ता प्रार्थी की भूमि में से निकल रहा है तो भी विभागीय प्रावधानों के अनुसार वह रास्ता जो पूर्ववर्ती हो, किसी भी ऋतु में परिवर्तित न होता हो और सार्वजनिक रूप से आम जनों के आने-जाने हेतु काम आ रहा हो तो उसे बंद नहीं किया जा सकता, अपितु ऐसे रास्तों का अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जाना प्राक्यायी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज भी संलग्न नहीं किया है जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता हो कि विवादित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से होकर निकल रहा है। दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा बताया गया है कि रास्ता जिस भूमि पर निकल रहा है वह पूर्व में गै0मु0 पाल की भूमि थी, जो सक्षम अधिकारियों द्वारा बाद में आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत रामगंज को आवंटन की गई। जिससे प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि की किस्म गै0मु0पाल होने से अब्दुल रहमान बनाम युनियन ऑफ इण्डिया में माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय से प्रभावित भूमि है, यह आवंटन त्रुटिवश होना प्रतीत होता है। यहां उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में पूर्व में जारी एक पक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाया है तथा अपने खाते की आराजी में रास्ते के सुखाधिकार से भी वंचित रहा है, जो मुताबिक रेकार्ड प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचना के अनुसार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं होना और प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रकरण नहीं बनना स्पष्ट रूप से जाहिर पत्रावली है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेकार्ड एवं साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है व तहसीलदार, बून्दी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवादित रास्ते को मूल दावे के निस्तारण तक बहाल करवाया जाना सुनिश्चित करें और प्रकरण में उल्लेखित ग्राम पंचायत की भूमि खसरा संख्या 663/157 व 166 ग्राम रामगंज के रेकार्ड की जांच कर यदि भूमि ग्राम पंचायत को आवंटन से पूर्व प्रतिबंधित श्रेणी की होना प्रमाणित हो तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर भूमि के मूल वर्गीकरण को दर्ज रेकार्ड करें। तहसीलदार, बून्दी को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद की जावें।